न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), राम सनेहीघाट, कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या–   /2021

CNR No. UPBB180002172021

जगदीश यादव आदि   बनाम   अश्वनी सोनी आदि

08.09.2021

प्रार्थना–पत्र ग–6 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र ग–7 पर वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना गया।

प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी का कथन है कि उपरोक्त वाद के विपक्षीगण अपनी सरहंगी व बदमाशी की बिना पर प्रार्थीगण की उपरोक्त कब्जा व दखल वाली विवादित आराजी पर जबरिया कब्जा कर लेना चाहते हैं और यदि उक्त विपक्षीगण अपने इस नाकिस इरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण की अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी अन्य दीगर तरीके से पूर्ण होना सम्भव नहीं है और प्रार्थीगण का दावा दायर करने व प्रार्थना पत्र देने का मकसद बेकार हो जाएगा। ऐसी दशा में विपक्षीगण को सदैव के लिए रोक दिया जावे कि विपक्षीगण प्रार्थीगण की विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करें और न ही उस पर जबरन कब्जा करें। वादीगण द्वारा अपने समर्थन में सूची ग–9 से उद्धरण खतौनी ग–10, खसरा ग–11 तथा नक्शा ग–12 लगाया गया है।

उक्त अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि के बावत वादीगण के नाम बतौर खातेदार दर्ज है। वादीगण द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उक्त गाटा संख्या पर वादीगण की धान की फसल लगी हुई है। वाद पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों में कोई निषेधाज्ञा पारित न करने पर वाद के उद्देश्य के विफल होने तथा वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होने की सम्भावना है।

आदेश

प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि तक विवादित भूमि गाटा संख्या 1401 रकबा 0.1660 हे०, स्थित ग्राम ढेमा परगना मवई तहसील रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी, जैसा कि राजस्व नक्शे में दिखाया गया है, पर वादीगण के कब्जा व दखल में कोई हस्तक्षेप न करें।

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण ग–6 दिनांक 11.10.2021 को पेश हो।

वादी आदेश–39 नियम–03 जाप्ता दीवानी का अनुपालन अविलम्ब करे।

(अनुजया कृष्णा)
सिविल जज (जू० डि०)
कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।

08.09.2021

प्रार्थना–पत्र ग–13 पर सुना। न्यायहित में स्वीकृत। वादीगण पैरवी करे। बाद पैरवी अमीन को रिट जारी हो। अमीन पक्षकारों को सूचित कर मौके का निरीक्षण करे और अपनी आख्या मय नक्शा नियत तिथि तक न्यायालय में दाखिल करे।

(अनुजया कृष्णा)
सिविल जज (जू० डि०)
कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।